



2026:AHC:40715

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7259 वर्ष 2026

कुशल पाल

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : प्रदीप कुमार भारद्वाज
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : अंजलि उपाध्याय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को न्यायालय में लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी उक्त आदेश से स्वयं को पीड़ित अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या-43097 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी20241127243097) का यथाशीघ्र निर्णय करें।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन काफी समय से लंबित है। इस चरण पर उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) का उल्लेख करना उपयुक्त एवं आवश्यक होगा, जिसके अनुसार ऐसा आवेदन प्रस्तुत होने पर संबंधित प्राधिकारी को उसे समयबद्ध अवधि के भीतर विधि के अनुसार निस्तारित अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) निम्नलिखित है:-

"(3). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर समाप्त की जाएगी।"

5. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त वाद को ग्रहण कर विधि के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र, तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, निस्तारित करें।

6. पर्युक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारों के परस्पर तर्कों के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

23 मार्च, 2026

सक्रलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।